दिनांक 11.07.2024 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

निगम भिलाई में कार्यरत महिला स्टाफ से दुव्र्यवहार करने पर होगी शक्त कार्यवाही

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में कार्यरत महिला अधिकारी/कर्मचारियो के साथ किसी प्रकार का भेद भाव या अन्य किसी प्रकार की अव्यवहारिक गतिविधि न हो। इसके लिए आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने समिति का गठन किया है। नगर निगम भिलाई में कार्यरत सभी महिला स्टाफ के साथ अगर किसी प्रकार का दुव्र्यवहार अधिकारियो, कर्मचारियो, जनप्रतिनिधियो या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। संबंधित महिला कर्मचारी लिखित में आवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी । समिति दोनों पक्षों की बातों को सुनेगी तत्पश्चात उचित निर्णय लेगी । समिति गठन करने का उद्देश्य यही है किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का महिला उत्पीड़न ना हो, सबको समान अधिकार मिले। उसके खिलाफ सुनवाई हेतु निगम के शिकायत समिति के समक्ष आवेदन कर सकती है। समिति द्वारा सर्व सम्मति से लिए गये निर्णय के अनुसार पीड़ित पक्षकार के हित में फैसला लिया जायेगा, जो सब को मान्य होगा। शासन के आदेश क्रं./एफ-109/1/सा.प्र.वि./विविध/2024/285 भिलाई, दिनांक 10.07.2024 के अनुसार गठित समिति में अध्यक्ष सुश्री दीप्ति साहू, सचिव श्रीमती रीता चतुर्वेदी, सदस्य श्रीमती चंचल शर्मा, श्रीमती रीमा जामुलकर, श्रीमती शोभा चैबे, श्रीमती अपर्णा क्षीरसागर, श्रीमती नीतिलता विश्वकर्मा, श्रीमती प्रियंका राव, सुश्री लक्ष्मी, श्रीमती नसीमा बेगम, श्रीमती चंद्रकला देशमुख, श्रीमती शानु मोहनन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति की बराबर बैठक होगी ।आयुक्त ने सभी से अपील की है कि महिलाओं का सम्मान करें, उनसे अच्छी तरह से बात करें। किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी । महापौर नीरज पाल ने महिला समिति के गठन का स्वागत किया है ।